न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, (एच0जे0एस0)
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

सत्र परीक्षण सं0–156 / 2014
(C.N.R. No.-UPET010008932014)

उत्तर प्रदेश सरकार ————————अभियोजन

बनाम

शिशुपाल उर्फ शिशपाल पुत्र गिरधारी
निवासी रहीम नगर, थाना ढोलना,
जिला कासगंज। ——————अभियुक्त

मु0अ0सं0–09 / 2014
धारा–302,201 भा0दं0सं0
थाना–मारहरा, जिला एटा।

एवं

सत्र परीक्षण सं0–155 / 2014
(C.N.R. No.-UPET010008922014)

उत्तर प्रदेश सरकार ————————अभियोजन

बनाम

शिशुपाल उर्फ शिशपाल पुत्र गिरधारी
निवासी रहीम नगर, थाना ढोलना,
जिला कासगंज। ——————अभियुक्त

मु0अ0सं0–13 / 2014
धारा–25 / 27 आयुध अधिनियम
थाना–मारहरा, जिला एटा।

निर्णय

01. थाना मारहरा, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 09 / 2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना मारहरा, जिला एटा के मामले में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल के विरुद्ध विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्र परीक्षण सं0 156 / 2014 के रूप में संस्थित हुआ।

02. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी गुड्डो देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश निवासी रहीम नगर, थाना ढोलना, जिला कासगंज द्वारा दिनांक 22.12.2013 को एक प्रार्थना–पत्र **प्रदर्श क–01** इस आशय का दिया गया

कि कल दिनांक 21.12.2013 को शाम समय करीब 07:00 बजे उसका पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 15 वर्ष शिशुपाल के घर रजाई लेकर गया था और शिशुपाल के घर ही में खाना खाया था। उसके बाद डॉ0 लाखन सिंह के घर टी0वी0 देखी थी तथा ज्वाली सिंह ने उसके बेटे से बैट्री मॉगी थी, जिसके ऊपर ज्वाली सिंह से कहा–सुनी भी हो गयी। उसके बाद उसका बेटा घर नहीं लौटा। सुबह करीब 08:00 बजे श्यौराज पुत्र चेतराम सिंह, निवासी गोपालपुर, थाना मारहरा, जिला एटा के आम के बाग के पास उसके बेटे की लाश मिली है, जिसकी पीठ में गोली मारकर उसकी हत्या की गयी है। उसे संदेह है कि उपरोक्त शिशुपाल आदि लोगों को ही उसके बेटे की हत्या की जानकारी होगी। अतः उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।

03. वादिनी मुकदमा के द्वारा दी गई लिखित तहरीर **प्रदर्श क–01** के आधार पर थाना ढोलना, जिला एटा पर मु0अ0सं0 निल/2013, धारा 302,201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–14** दिनांक 22.12.2013 को समय 09:15 ए0एम0 पर अभियुक्तगण शिशुपाल, डॉ0 लाखन सिंह व ज्वाली सिंह के विरूद्ध दर्ज की गयी, जिसका खुलासा नकल रपट सं0 12, समय 09:15 ए0एम0 दिनांकित 22.12.2013 **प्रदर्श क–15** में किया गया।

04. प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत होने के उपरांत थाना ढोलना, जिला कासगंज पर नियुक्त सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह पी0डब्लू0 08 द्वारा दिनांक 22.12.2013 को घटनास्थल पर पहुॅचकर मृतक महेन्द्र सिंह के शव का पंचायतनामा **प्रदर्श क–09** मुरत्तिव कर आवश्यक प्रपत्र चिट्ठी सी0एम0ओ0, चालान नाश व फोटो नाश क्रमशः **प्रदर्श क–10 लगायत प्रदर्श क–12** तैयार करके शव को वास्ते कराने विच्छेदन भेजा गया, जहॉ मृतक महेन्द्र सिंह के शव का पोस्टमार्टम चिकित्सक पी0डब्लू0 04 डॉ0 अंजुश सिंह द्वारा करके शव–विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–02** तैयार की गयी। इस मामले की प्रारंभिक विवेचना पी0डब्लू0 08 द्वारा ही संपादित की गयी, जिसके द्वारा दिनांक 22.12.2013 को ही शव–बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–13** तैयार की गयी। तदोपरांत घटनास्थल थाना मारहरा, जिला एटा का होने के कारण इस मामले की विवेचना थाना प्रभारी मारहरा सेवानिवृत्त निरीक्षक हरी सिंह पी0डब्लू0 07 द्वारा संपादित की गयी और मामला मु0अ0सं0 निल/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना ढोलना, जिला एटा से मु0अ0सं0 09/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना मारहरा, जिला एटा के रूप में तरमीम किया गया, जिसका खुलासा जी0डी0 सं0 45, समय 20:30 बजे दिनांकित 08.01.2014 **प्रदर्श क–03** में किया गया। पी0डब्लू0 07 के द्वारा दिनांक 09.01.2014 को पुनः शव–बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–05** तैयार की गयी। तदोपरांत दिनांक 27.01.2014 को मुखबिर की सूचना पर सिकन्दराराऊ–कासगंज रोड पर कच्चा रास्ता गोपालपुर तिराहा से अभियुक्त शिशुपाल को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसकी निशानदेही पर थान सिंह के खेत की खड़ी झाडियों के नीचे पडी सूखी पत्तियों में से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जीवित कारतूस 315 बोर समय 16:05 बजे बरामद कर फर्द **प्रदर्श क–06** तैयार की गयी और उसी समय आला–कत्ल बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–07** भी पी0डब्लू0 07 द्वारा तैयार की गयी। तदोपरांत माल व मुल्जिम को थाना मारहरा, जिला एटा लाकर दिनांक 27.01.2014 को समय 18:15 बजे अभियुक्त शिशुपाल के विरूद्ध मु0अ0सं0 13/2014, धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–04** पंजीकृत की गयी, जिसका खुलासा नकल रपट सं0 37, समय 18:15 बजे दिनांकित 27.01.2014 **प्रदर्श क–04ए** में किया गया। आला–कत्ल बरामदगी के मामले की विवेचना पी0डब्लू0 10 सेवानिवृत्त निरीक्षक रवीन्द्र बहादुर सिंह द्वारा संपादित की गयी, जिसके द्वारा दिनांक 24.02.2014 को पुनः आला–कत्ल बरामदगी स्थल की नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–16** तैयार की गयी। आला–कत्ल बरामदगी के मामले की

अग्रिम विवेचना पी0डब्लू0 11 निरीक्षक रूप किशोर निगम द्वारा संपादित की गयी, जिनके द्वारा अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति प्रदर्श क–17 तत्कालीन जिलाधिकारी से प्राप्त की गयी। पी0डब्लू0 11 द्वारा द्वारा गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा आला–कत्ल बरामदगी के मामले मु0अ0सं0 13/2014 में सम्यक् विवेचनोपरांत पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल के विरूद्ध पाये जाने पर आरोप–पत्र **प्रदर्श क–18** अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम में विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा में प्रेषित किया गया।

05. तदोपरांत हत्या के मामले अ0सं0 09/2014 के विवेचक पी0डब्लू0 07 द्वारा गवाहान के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण लाखन सिंह व ज्वाली सिंह नामजदगी झूठी पायी गयी तथा सम्यक् विवेचनोपरांत पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल के विरूद्ध पाये जाने पर आरोप–पत्र **प्रदर्श क–08** अन्तर्गत धारा 302,201 भा0दं0सं0 में विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा में प्रेषित किया गया।

06. दौरान विवेचना विवेचकों द्वारा मृतक के शव से बरामद वस्तुओं व अभियुक्त से बरामदगी आला–कत्ल तमंचा व कारतूस को विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा परीक्षण हेतु भेजा गया, जिनकी रिपोर्ट दिनांकित 04.04.2016 व 03.07.2015 पत्रावली पर उपलब्ध हैं।

07. थाना मारहरा, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 13/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना मारहरा, जिला एटा के मामले में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र अभियुक्त शिशुपाल व शिशपाल के विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा मामले में प्रसंज्ञान लेकर मामला सत्र परीक्षण सं0 156/2016, राज्य बनाम शिशुपाल उर्फ शिशपाल, अ0सं0 09/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना मारहरा, जिला एटा से संबंधित होने के आधार पर अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 207 दं0प्र0सं0 के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्र परीक्षण सं0 155/2014 के रूप में संस्थित हुआ।

08. चूॅकि दोनों सत्र परीक्षण एक–दूसरे से संबंधित हैं, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रार्थना–पत्र 12अ को स्वीकार कर आदेश दिनांकित 25.02.2015 द्वारा दोनों वादों को समेकित करते हुए सत्र परीक्षण सं0 156/2014, राज्य बनाम शिशुपाल उर्फ शिशपाल की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया और उसी में समस्त साक्ष्य अभिलिखित की गयी। अतः न्यायहित में सुविधा की दृष्टि से दोनों वादों का निस्तारण संयुक्त रूप से एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

09. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। उसके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 19.12.2014 द्वारा धारा 302,201 भा0दं0सं0 व धारा 25/27 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक–पृथक विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

10. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में तहरीर प्रदर्श क–01, पोस्टमोर्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–02, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–03, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–04, नकल रपट प्रदर्श क–04ए, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–05, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–06, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–07, आरोप–पत्र प्रदर्श क–08, पंचायतनामा प्रदर्श क–09, चिट्ठी सी0एम0ओ0 प्रदर्श क–10, चालान नाश प्रदर्श क–11, फोटो नाश प्रदर्श क–12, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–13, चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–14, नकल रपट प्रदर्श क–15, नक्शा–नजरी प्रदर्श क–16, अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–17 व आरोप–पत्र प्रदर्श क–18 को साबित कराया गया है।

11. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–01 गुड्डो देवी, पी0डब्लू0–02 कु0 प्रीती, पी0डब्लू0–03 दफे सिंह, पी0डब्लू0–04 डॉ0 अंजुश सिंह, पी0डब्लू0–05 एच0सी0 155 अजेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–06 कॉ0 172 सी0पी0 विनय कुमार, पी0डब्लू0–07 सेवानिवृत्त निरीक्षक हरी सिंह, पी0डब्लू0–08 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह, पी0डब्लू0–09 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दफेदार सिंह, पी0डब्लू0–10 सेवानिवृत्त निरीक्षक रवीन्द्र बहादुर सिंह एवं पी0डब्लू0–11 निरीक्षक रूपकिशोर निगम को परीक्षित कराया गया है।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैंः–

13. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 01 वादी मुकदमा गुड्डो देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व की है। शाम 7 बजे का समय था। उसका लड़का उम्र करीब 15 वर्ष गॉव के शिशुपाल के घर सोने की कहकर घर से रजाई लेकर गया था। महेन्द्र ने जाते समय उससे कहा था कि मम्मी आज शिशुपाल अंडे बना रहा है। शिशुपाल ने खाना खाने की कही है, इसलिये खाना शिशुपाल के घर खायेगे। शिशुपाल अपने भाई के पास राजस्थान में काम करता था और घटना से डेढ़ माह पूर्व से गॉव में रहता है और महेन्द्र से उसने दोस्ती कर ली थी। उसके लड़के ने डॉक्टर लाखन सिंह के घर पर टी0वी0 देखी थी और गॉव के ज्वाली सिंह की टार्च ले रखी थी। लड़का जाते समय टार्च लेकर गया था। ज्वाला सिंह महेन्द्र के जाने के बाद टार्च मांगने आया था। उसने कहा कि टार्च कल मिलेगी। महेन्द्र लेकर गया है। जब उसका लड़का घर लौटकर नहीं आया, तो वह अगले दिन सुबह शिशुपाल के घर गयी और महेन्द्र के बारे में शिशुपाल से पूछा। शिशुपाल ने उससे कहा कि महेन्द्र जल्दी उठकर उसके घर से चला गया है। उसने अपनी रजाई, जो महेन्द्र लेकर आया था, शिशुपाल के घर देखी थी। सुबह लगभग समय करीब 08:00 बजे गॉव के हीरालाल खेतों पर घूमने गये, तो उसने अपने लड़के महेन्द्र की लाश श्यौराज के बाग में समाधि के पास पड़ी देखी। सूचना पर वह भी अपने लडके महेन्द्र की लाश के पास गयी। उसके लडके महेन्द्र की हत्या उसकी पीठ में गोली मारकर की थी। उसे पूरा विश्वास है कि उसके लड़के की हत्या शिशुपाल ने गोली मारकर की है। तब उसने घटना की रिपोर्ट गॉव के व्यक्ति से लिखवाकर पढ़वाकर सुनने के बाद उस पर अपना नाम लिखकर थाना ढोलना में दी थी और मुकदमा शिशुपाल के खिलाफ दर्ज कराया था। रिपोर्ट तहरीर कागज संख्या–5अ को गवाह को पढकर सुनाया व दिखाया, तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसने थाने पर दी थी। इस पर **प्रदर्श क–01** डाला गया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शिशुपाल गॉव से जयपुर की कहकर भाग गया था। बाद में मारहरा थाना की पुलिस ने कार्यवाही की थी और उसका बयान लिया था। तब उसने दरोगाजी को सभी बात थाने में बतायी थी।

14. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0 02 कु0 प्रीती** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके भाई महेन्द्र को अभियुक्त शिशुपाल पुत्र गिरधारी, जो उसके गॉव का है, आज से चार साल पूर्व समय के 07:00 बजे बुलाकर ले गया। उसका भाई महेन्द्र अपने साथ रजाई ले गया था। वह भी शिशुपाल के घर आंधे घंटे बाद गयी थी। उसका भाई महेन्द्र बैठा था। एक आदमी और था, जो लेटा था। लेटे हुए व्यक्ति को वह शक्ल से नहीं जानती है। सामने आने पर पहचान सकती है। शिशुपाल के घर अंडे बन रहे थे। शिशुपाल शराब पी रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि घर चलो, तो उसने कहा कि वह आज यही खाना खायेगा। रात भर उसका भाई महेन्द्र घर नहीं आया था। सुबह उसकी मम्मी शिशुपाल के घर गयी थी और भाई महेन्द्र के बारे में शिशुपाल से पूछा तो शिशुपाल ने कहा कि महेन्द्र यहॉ से सुबह जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद गॉव में हल्ला हो गया कि उसके भाई महेन्द्र की लाश श्यौराज के बाग के पास पड़ी थी। इस पर वह, उसकी मॉ, उसकी बहन शशी व

बुआ की लड़की श्यौराज के बाग में गये। उसका भाई मरा पड़ा था। उसकी पीठ में गोली मारकर शिशुपाल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की थी। शॉल व बनियान में खून लगा था, जो उसके भाई के शरीर से निकल रहा था। इस घटना की रिपोर्ट उसकी मॉ ने लिखाई थी। दरोगाजी ने उसका बयान लिया था।

15. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–03 दफे सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि आज से करीब पॉच वर्ष पूर्व वह अपने रिस्तेदार रामचन्द्र के साथ मिरहची बाजार खरीददारी करने के लिये गया था, तो वहॉ पर रहीमनगर का शिशुपाल पुत्र गिरधारी, जो उसे पहले से जानता था, उसके पास आया। हाथ पैर जोड़कर उससे कहने लगा कि उससे बहुत बडी गलती हो गयी। उसने अपने गॉव के महेन्द्र पुत्र ओम प्रकाश की दिनांक 21.12.2013 की रात में हत्या कर दी, जिसकी पुलिस की जानकारी हो गयी। अब आप लोग किसी तरह उसे बचा लो। शिशुलाल पड़ौसी होने के नाते उसे पहले से भलीभॉति जानता था। दरोगाजी के पूछने पर शिशुपाल द्वारा बताई गयी सभी बाते उसने दरोगाजी को बता दी थी।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–04 डॉ0 अंजुश सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 22.12.2013 को उक्त पद एवं स्थान पर तैनात था। उक्त दिनांक को उसने मृतक महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश उम्र 15 वर्ष निवासी–रहीमनगर, थाना ढोलना, कासगंज के शव का पोस्टमार्टम जिला मुख्यालय एटा मोरचरी पर किया था। शव को सील मोहर हालत में थाना ढोलना एटा के हरी सिंह व सी.आई. 336 धीरेन्द्र सिंह लेकर आये थे। मृतक सामान्य कद काठी का था। शरीर में अकड़न मौजूद थी। ऑखे हल्की खुली थी। आंतरिक परीक्षण पर मृतक के गर्दन, सिर, मस्तिक आदि पर कोई चोंट नहीं थी। पेट में (आमाशय) में 250 एम.एल. अधपचा भोजन मौजूद था। मृतक के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयीः–

1. आग्नेयास्त्र का प्रवेश घाव जिसकी माप 1 सेमी0 **X** 1 सेमी0 सीने के पीछे दाहिने ओर 3 सेमी0 सीधे स्केपुला से नीचे थी। कालौंच मौजूद थी। घाव के चारों ओर मार्जिन अन्दर की तरफ थे।
2. लगभग एक लीटर फ्री ओर क्लोटेड ब्लड जमा हुए दांयी तरफ की छाती में मौजूद था।
3. दांयी तरफ की स्टरनम से एक पीले रंग की धातु की बुलेट मिली, जिसे उसने सील मोहर कर शव के साथ आये सिपाहियों को एस.पी. कासगंज को रेफर कर दिया था।

शव से एक शर्ट, एक बनियान, एक पेन्ट, एक कच्छा, एक गले का धागा व एक पीली धातु की अंगूठी बरामद हुई थी, जिन्हें सीलकर शव के साथ आये सिपाहियों को दिया था। मृतक की मृत्यु चोट नं0 1 से हुए शॉक एवं हैमरेज के कारण हुयी थी। मृतक की मृत्यु शव परीक्षण से 3/4 दिन पूर्व हुई थी। उसने पी.एम.आर. कागज सं0 12अ/1 व 2 वरवक्त मुआयना तैयार की थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर **प्रदर्श क–02** डाला गया।

17. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–05 एच0सी0 155 अजेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 08.01.2014 को बतौर सी0सी0 थाना मारहरा पर तैनात था। थानाध्यक्ष के इंकपैड से प्राप्त आदेश पत्रांक संख्या–1013 दिनांकित 07.01.2014 में संलग्न मूल एफ.आई.आर. 149/013 दिनांक 22.12.2013 थाना ढोलना से मय मूल तहरीर वादी व सी.डी. का प्रथम पर्चा कुल 18 वर्क जिन पर आदेश एस.ओ. मारहरा सी0सी0 अपराध पर लेना सुरक्षित करे। उसके द्वारा मु0अ0सं0–09/2014 धारा–302/201 भा0दं0सं0 दिनांक 22.12.2013 समय 09:15 तारीख बकुआ उपरोक्त को दिनांक 08.01.2014 समय 20:30 पर रपट नं 45 में लेकर विवेचना एस.ओ. मारहरा को

दी थी, जो जी.डी. की नकल पत्रावली पर कागज संख्या–7अ/03 है, जो मूल से हूबहू कार्बन प्रति है, जिसे वह अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता है। यह उसके हस्तलेख में है। जिसकी मूल जी.डी. आज न्यायालय में उसके समक्ष उपलब्ध है, कार्बन प्रति पर **प्रदर्श क–03** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि वह दिनांक 27.01.2014 को बतौर कॉ0 क्लर्क थाना मारहरा पर तैनात था। थानाध्यक्ष द्वारा मु0अ0सं0 09/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0 से संबंधित आला–कत्ल एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय एक कारतूस जिन्दा 315 बोर से संबंधित आला–कत्ल मय संबंधित मुल्जिम की फर्द मौका मुरत्तिव लाकर दाखिल किये थे। फर्द दाखिला तहरीर के आधार पर उसने मु0अ0सं0 13/2014, धारा 25 आयुध अधिनियम, एफ0आई0आर0 सं0 06/2014 पर बनाम शिशुपाल पुत्र गिरधारी, निवासी ग्राम रहीम नगर, थाना ढोलना, कासगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया था, जो पत्रावली पर कागज सं0 11अ/1 लगायत 11अ/2 है। यह चिक एफ0आई0आर0 उसके हस्तलेख में है तथा इस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर **प्रदर्श क–04** डाला गया, जिसका इंद्राज उसके द्वारा जी0डी0 नं0 37/27.01.2014, समय 18:15 पर किया गया। यह जी0डी0 उसके हस्तलेख में है, जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर 5अ/1 है, जिसे वह प्रमाणित करता है, जिस पर **प्रदर्श क–4ए** डाला गया। मूल जी0डी0 आज उसके समक्ष न्यायालय में उपलब्ध है। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–06 कॉ0 172 सी0पी0 विनय कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.01.2014 को वह एस.ओ. साहब हरी सिंह, सी. 864 बृजपाल सिंह व जीप चालक महेश कुमार थानाध्यक्ष से मु0अ0सं0 09/2014 धारा–302/201 भा0दं0सं0 थाना मारहरा की विवेचना व तलाश अभियुक्त शिशुपाल पुत्र गिरधारी, निवासी–रहीमनगर, थाना ढोलना जनपद कासगंज मुखबिर की सूचना के आधार पर सिकन्दराराऊ कासगंज रोड पर कच्चा रास्ता वाले तिराहा से अभियुक्त शिशुपाल को गिरफ्तार कर जुर्म के इकबाल के आधार पर व उम्मीद बरामदगी आला कत्ल तमंचा 315 बोर हेतु अभियुक्त शिशुपाल को जीप में साथ लेकर अभियुक्त के बताये अनुसार कच्चे रास्ते से थान सिंह पुत्र स्व0 श्री नन्नूमल, निवासी–रहीमनगर, थाना ढोलना जनपद कासगंज के गेंहू के खेत के सामने कच्ची सड़क पर अभियुक्त ने जीप रूकवायी तथा जीप से नीचे उतरकर मेढ़ के रास्ते दक्षिण दिशा के आगे–2 चलकर जीप से करीब 40 कदम की दूरी पर थान सिंह के खेत में खडी झाडियों में से झाडियों को उठाकर उनके नीचे पड़ी सूखी पत्तियों में से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर (आला–कत्ल) सम्बन्धित अभियोग समय 16:05 बजे स्वयं निकालकर दिया और बताया कि उसने इसी तमंचे से दिनांक 21.12.2013 की रात में अपने गॉव के महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद पकड़े जाने के डर से तमंचा तथा कारतूस को उसने यहॉ छिपा दिया था। बरामद तमंचा का हुलिया निम्न प्रकार है। बरामद तमंचा 315 बोर की नाल लोहा की नौ अंगुल, नाल के ऊपर तमंचा खोलने व बंद करने के लिये लोहे की पत्ती लगी है। बॉडी लोहा करीब पॉच अंगुल नीचे ट्रैर व उसके उपर ट्रैगर गार्ड लगा है। बट लोहा करीब आठ अंगुल जिसके दोनों तरफ लकडी की चाप लगी है तथा दोनों तरफ से दो–दो स्क्रू से कसी है। बट के नीचे लोहे का एक छल्ला डोरी डालने के लिये बना है। बरामद 315 बोर कारतूस नाजायज पीतल का, जिसकी पैंदी पर 8एम.एम. के.एफ. अंग्रेजी में लिखा है, बरामद हुआ था। बरामदगी से पूर्व अभियुक्त शिशुपाल के जहॉ पर कच्ची सड़क पर खडे होकर आने जाने वालों को मकसद बताकर गवाही हेतु नाम व पता पूछा, तो कोई भी भलाई बुराई के कारण तैयार नही हुआ। तब आपस में हमराहियान की जामा तलाशी लेकर कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। फर्द बरामदगी मौका पर एस.ओ. हरी सिंह द्वारा तैयार की गयी

थी। गवाह ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर देखकर हस्ताक्षर की पुष्टि की। घटना के सम्बन्ध में उसका बयान दरोगाजी ने लिया था।

19. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–07 सेवानिवृत्त निरीक्षक हरी सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 08.01.2014 को वह बतौर थाना प्रभारी थाना मारहरा पर तैनात था। उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या निल/2013 अन्तर्गत धारा 302,201 भा0दं0सं0 थाना ढोलना जिला कासगंज की विवेचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के आदेश से प्राप्त हुयी। उसी दिन उसने उक्त मुकदमा को रपट नम्बर–45 समय 20 बजकर 30 मिनट पर मुकदमा अ०सं० 09/2014 अन्तर्गत धारा 302,201 भा0दं0वि0 पर दर्ज किया और सी0डी0 पर्चा नं०–01 किता किया, जिसमें उसने थाना ढोलना पर तैनात उपनिरीक्षक वीरपाल द्वारा किता किया गया सी0डी0 पर्चा नं०–01 का अवलोकन किया और जी0डी0 की नकल की, जी0डी0 लेखक का बयान लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा व डी0आई0जी0, अलीगढ़ के आदेशों व तहरीर वादी की नकल की। दिनांक 09.01.2014 को उसने सी0डी0 पर्चा नं० 02 किता किया, जिसमें बयान वादिया व गवाह कुमारी प्रीती का बयान अंकित किया। घटनास्थल की निरीक्षण किया, जो मुताबिक वादिया व घटनास्थल सही है, उसके हस्ताक्षर व हस्तलेख में तैयार किया गया था। साक्षी ने पत्रावली में सलंग्न कागज संख्या 8अ/2 नक्शा–नजरी को देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–5** डाला गया। दिनांक 12.01.2014 को पर्चा नं०–04 किता किया गया, जिसमें गवाह मौहर सिंह व जगदीश नन्दन का बयान अंकित किया गया। दिनांक 15.01.2014 को सी0डी0 पर्चा नं० 05 किता किया गया, जिसमें नकल पंचायतनामा व नकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अकित की गयी। दिनांक 25.01.2014 को सी0डी0 पर्चा नं० 06 किता गया, जिसमें संदिग्ध अभियुक्त लाखन सिंह व ज्वाला सिंह का बयान अकित किया गया एवं गवाह प्रमोद, देवकरन, रामचन्द्र, दफे सिंह, कुन्दन सिंह दुर्गपाल का बयान अंकित किया गया। दिनांक 27.01.2014 को सी0डी0 पर्चा नं०–07 किता किया गया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिशुपाल पुत्र स्व० गिरधारी ग्राम रहीमपुर थाना ढोलना जिला कासगंज को गोपालपुर तिराहे से 14 बजकर 45 मिनट पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त का गिरफ्तारी मीमो तैयार किया गया एवं अभियुक्त शिशुपाल का बयान अंकित किया गया। अभियुक्त ने जुर्म का इकबाल करते हुये उक्त घटना में प्रयुक्त किया हुआ तंमचा 315 बोर एवं कारतूस बरामद हेतु कहा। इसके बाद अभियुक्त ने अपनी निशानदेही पर आला कत्ल एक नाजायज तंमचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर थान सिंह के खेत में खड़ी झाड़ियों में से सूखी पत्तियों से समय करीब 16 बजकर 05 मिनट पर बरामद कराया, जिसकी फर्द उसके द्वारा गवाहन के सामने बनायी गयी तथा बरामदशुदा तंमचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर को एक सफेद कपड़े में रखकर सर्वे सील किया गया, नमूना मौहर लिया गया। फर्द पढ़कर सुनाकर गवाहन एवं अभियुक्त से हस्ताक्षर कराये गये। सील सर्वे मौहर तंमचे पर भी अभियुक्त से हस्ताक्षर कराये। फर्द उसने स्वयं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। साक्षी ने पत्रावली सत्र परीक्षण सं0 155/2014, राज्य बनाम शिशुपाल उर्फ शीशपाल में कागज संख्या 12अ है, इस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर व हस्तलेख की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श–क–6** डाला गया। इसके बाद अभियुक्त शिशुपाल की निशानदेही पर आला कत्ल तंमचा बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया, जो उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। साक्षी ने पत्रावली मे संलग्न कागज सं0 8अ/3 नक्शा–नजरी बरामदगी स्थल आला कत्ल पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–07** डाला गया। इसके बाद अभियुक्त शिशुपाल तथा माल बरामदशुदा तंमचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस सील सर्वे मौहर फर्द को लेकर थाने आया। फर्द के आधार पर अभियुक्त शिशुपाल के विरुद्ध मु0अ0सं0 13/2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया। माल एव मुल्जिम

को दाखिल कराकर माल को मालगृह में रखवाया गया तथा अभियुक्त को पुरुष हवालात में बन्द कराया गया। आज न्यायालय में सीलबन्द बन्डल खोला गया, तो उसके अन्दर एक तंमचा व एक कारतूस जिन्दा निकला व एक कपड़ा निकला, जो साक्षी ने बताया कि इसमें तंमचा व कारतूस को सील किया गया। बाहरी कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–1**, तंमचे पर **वस्तु प्रदर्श–2** व कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श–3** व अन्दर निकले हुये कपड़े पर **वस्तु प्रदर्श–4** डाला गया। दिनांक 05.02.2014 को सी0डी0 पर्चा न० 8 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त की माँ चम्पो व भाभी अलोखा का बयान अंकित किया। दिनांक 09.12.2014 को सीडी पर्चा नं० 9 किता किया गया, जिसमें बयान कमल सिंह एवं श्रीमती रूपा उर्फ दीपाली का बयान अंकित किया गया। दिनांक 03.03.2014 को सीडी पर्चा न० 10 किता किया गया, जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा श्यामलाल, अनार सिंह, रामस्वरूप, वीरपाल व तुर्रम के बयान व पंचायतनामा भरने वाले उपनिरीक्षक के बयान अंकित किये गये। दिनांक 16.03.2014 को सीडी पर्चा न० 11 किता किया गया, जिसमें पोस्टमार्टम कराने वाले आरक्षी केहरी सिंह व आरक्षी वीरेन्द्र सिंह के एवं फर्द के गवाह हेड आरक्षी बृजपाल सिंह के बयान अंकित किये। दिनांक 31.03.2014 को सी0डी0 पर्चा नं० 12 किता किया गया, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एच0सी0पी0 दफेदार सिंह थाना ढोलना तथा हेड आरक्षी भगवत सिंह थाना मारहरा के बयान अंकित किये। दिनाक 08.04.2014 को सी0डी0 पर्चा नं० 13 किता किया गया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर श्री अंजुश सिंह का बयान अंकित किया गया तथा तमामी विवेचना से अभियुक्त शिशुपाल के विरुद्ध धारा 302,201 भा0दं0वि0 का अपराध साबित होने पर अभियुक्त शिशुपाल का चालान द्वारा आरोप–पत्र सं0 21/2014 दिनांक 08.04.2014 को न्यायालय प्रेषित किया गया। साक्षी ने पत्रावली में सलंग्न कागज सं 3अ आरोप–पत्र पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–8** डाला गया।

20. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–08 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 22.12.2013 को थाना ढोलना पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उसी दिन थाना पर वादी द्वारा रिपोर्ट अंकित कराई गई कि उसके बेटे महेन्द्र की नामजद अभियुक्तों द्वारा गोली मारकर हत्या कारित कर दी है तथा मृतक का शव घटनास्थल स्यौराज सिंह निवासी गोपालपुर, थाना मारहरा के बाग के पास रखा हुआ था। सूचना पर वह घटनास्थल पर पंचायतनामा एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वहां पहुँचा। घटनास्थल पर भीड़ लगी हुई थी। परिवार के लोग विलाप कर रहे थे। वहां पर मौजूद भीड़ में से पांच लोग गवाह पंचान नियुक्त किये गये, जिनके नाम श्यामलाल, अनार सिंह, रामस्वरूप, वीरपाल व तुर्रम सिंह थे। गवाह पंचान की राय से शव की स्थिति, हुलिया, शव पर कपड़े, शव पर चोटें अंकित किए गए। तत्पश्चात गवाह पंचान ने आपसी सहमति से अपनी राय अपने हस्तलेख में अंकित कर सभी ने अपने हस्ताक्षर किए। उसकी राय भी गवाह पंचान की राय से मेल खाती थी। इसलिए शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए शव को एक कपड़े में सील सर्वे मौहर कर सभी कागजात तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने हेतु कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह व केहरी सिंह को सुपुर्द कर उनके हस्ताक्षर कराए। साक्षी ने पंचायतनामे पर उपलब्ध कागज सं० 11अ/2 व 11अ/3 देखकर पंचायतनामे पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–9** डाला गया। पंचनामा के साथ चिट्ठी सी.एम.ओ, चालान नाश, फोटो नाश भी तैयार किए गए, जो पत्रावली में क्रमशः कागज सं०–11अ/4, 11अ/5 व 11अ/6 हैं। इन पर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इन पर **प्रदर्श–क–10, प्रदर्श–क–11** व **प्रदर्श–क–12** डाला गया। सभी कागज तैयार कर पंचायतनामा के साथ शव को सील कर कांस्टेबल को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। उसके द्वारा थाना ढोलना पर किता किए गए मु0अ0सं०–निल/2013 की विवेचना भी दिनांक 22.12.2013 को गृहण

की गई थी। उसके द्वारा सी.डी. पर्चा नंबर 1 किता किया गया था, जिसमें तहरीर वादी, नकल जी.डी. नंबर 12 दिनांक 22.12.2013 थाना ढोलना की नकल की गई। बयान चिक लेखक अंकित किया गया तथा घटनास्थल जहां पर शव पड़ा हुआ था, वादिया गुड्डो देवी की निशानदेही पर निरीक्षण किया गया। नक्शा–नजरी वादिया के बताए अनुसार एवं घटनास्थल के अनुसार अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया गया। साक्षी ने पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–8अ/1 को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–13** डाला गया। बयान गवाह श्यामलाल, लेखराज, मिहीलाल, रिंकू कुमार, राकेश कुमार तथा तहरीर, जिसे गांव वालों ने मारहरा थाना का होना बताया था, उस तहरीर की नकल तथा घटनास्थल थाना मारहरा, जिला एटा होने के कारण विवेचना उच्चाधिकारियों के द्वारा स्थानांतरण के लिए प्रेषित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर अंकित किया गया।

21. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–09 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दफेदार सिंह,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.12.2013 को वह थाना ढोलना, जिला कासगंज पर बतौर एच.एम. तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा गुड्डो देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम रहीम नगर, थाना ढोलना, जिला कासगंज एक हस्तलिखित तहरीर स्वयं की दस्तखती लेकर आयी, जिसमें उसने अपने बेटे महेन्द्र, जो शिशुपाल के घर पर दिनांक 21.12.2013 को शाम को 07.00 बजे गया था, नहीं लौटा और उसका शव थाना मारहरा जिला एटा के क्षेत्र में ग्राम गोपालपुर आम के बाग में मिला, जिसकी पीठ में गोली मारने की चोटें थी। तहरीर के आधार पर उसके द्वारा मु0अ0सं०– निल/2013 धारा 302,301 भा.दं.वि. बनाम बाईस्तबा शिशुपाल, डाक्टर लाखन सिंह व ज्वाली सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। चिक रिपोर्ट उसने वादी की तहरीर के आधार पर शब्दशः अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में स्वयं किता की थी, जिसका उसने चिक रिपोर्ट पर प्रमाण पत्र भी अंकित किया है कि चिक रिपोर्ट तहरीर के अनुसार शब्दशः सही है। चिक रिपोर्ट पर उसने अपने हस्ताक्षर किए थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–4अ/1 व 4अ/2 चिक तहरीर देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–14** डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा जी.डी. रपट नंबर 12 दिनांक 22.12.2013 समय 09:15 ए.एम. बजे में किया है। जी.डी. उसने स्वयं अपने हस्तलेख में कार्बन लगाकर एक साथ तैयार की थी। मूल जी.डी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कासगंज के कार्यालय भेज दी गई थी, जो समय अधिक हो जाने के कारण विनिष्ट हो चुकी है। कार्बन प्रति जो मूल जी.डी के साथ तैयार का गई थी वह पत्रावली में कागज स०–7अ/2 है। इस पर साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–7अ/2 पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की तथा आज अपने हस्तलेख व जी.डी. कार्बन प्रति को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया। इस पर **प्रदर्श–क–15** डाला गया। मुकदमा कायम करने के पश्चात् मुकदमा व घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को द्वारा आर.टी. सेट दी गई। विवेचना थाना मारहरा, जिला एटा को स्थानातरण हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया। थाना प्रभारी को आवश्यक दस्तावेज सहित मय फोर्स शांति व्यवस्था एवं पंचायतनामे की कार्यवाही हेतु घटनास्थल भेजा गया। विवेचक उसका बयान लिया था।

22. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–10 सेवानिवृत्त निरीक्षक रवीन्द्र बहादुर सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 16.02.2014 को वह वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना पिलुआ के पद पर तैनात था। उसी दिन उसे मु0अ0सं0 13/14 धारा–25 आयुध अधिनियम, थाना मारहरा की विवेचना प्राप्त हुई। उसी दिन उसने सी०डी० पर्चा नं० 03 किता किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा पारित आदेश का अवलोकन कर सी०डी० संलग्न किया गया तथा पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना का अवलोकन किया गया। दिनांक 24.02.2014 को सी०डी० पर्चा नं० 04 किता किया गया, जिसमें कांस्टेबल बृजपाल सिंह,

कांस्टेबल विनय कुमार के बयान अंकित किये तथा उनकी निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जो मुताबिक घटनास्थल सही है। नक्शा–नजरी उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। साक्षी ने एस0टी0 सं0 155/2014 में कागज संख्या 6अ नक्शा नजरी देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। मौके पर मौजूद समाई साक्षी भोपाल सिंह व सुरेश के बयान अंकित किये। उसके बाद उसका स्थानान्तरण होने से विवेचना स्थानान्तरित हो गई।

23. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू–11 निरीक्षक रूपकिशोर निगम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 20.03.2014 को वह थाना पिलुआ पर बतौर वरिष्ठ उपनिरीक्षक तैनात था। उसी दिन उसे मु०अ०सं० 13/2014, धारा–25 आर्म्स एक्ट थाना मारहरा की विवेचना प्राप्त हुई। उसी दिन उसने सी.डी. पर्चा नं. 05 किता किया, जिसमें पूर्व विवेचक द्वारा की गई विवेचना का अवलोकन किया तथा गिरफ्तारी के समय थानाध्यक्ष मारहरा के साथ थाना की सरकारी गाड़ी पर तैनात चालक महेश कुमार का बयान अंकित किया तथा जिला मजिस्ट्रेट, एटा से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर उसका इंदराज किया गया तथा शामिल केस डायरी किया गया। अभियोजन स्वीकृति उसके सामने उसे डाक पैड से प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री जे.पी. त्रिवेदी के हस्ताक्षर हैं। वह तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एटा के हस्ताक्षर को जानता है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर किये गये पत्र उसके यहाँ आते–रहते थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 8अ अभियोजन स्वीकृति पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, एटा के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। सम्पूर्ण की गई विवेचना से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त शिशुपाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र सं० 17/2014 न्यायालय प्रेषित किया, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा अग्रसारित है। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 3अ पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया।

24. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 दर्ज किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए तथ्य के तीनों साक्षीगण की साक्ष्य को गलत बताया है। पी0डब्लू0 04 शव–विच्छेदनकर्ता द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार करना बताया गया। अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू0 05 की साक्ष्य को भी गलत बताया और कहा कि एंटी टाईम कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार पी0डब्लू0 06 व पी0डब्लू0 07 की साक्ष्य को भी गलत बताते हुए कहा गया कि फर्जी बरामदगी दर्शाकर फर्जी कार्यवाही की गयी है। अभियुक्त ने पी0डब्लू0 08 लगायत पी0डब्लू0 11 की साक्ष्य को भी गलत बताया। अभियुक्त ने मुकदमा गॉव की पार्टीबंदी के कारण चलना बताया। अभियुक्त ने कुछ और कहने से इनकार किया तथा सफाई साक्ष्य देने हेतु कहा, किंतु बचाव में अभियुक्त की ओर से कोई साक्ष्य बचाव में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

25. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित केस में अभियोजन पक्ष को प्रत्येक परिस्थिति की कड़ी को आपस में लिंक करना चाहिए, यदि एक भी कड़ी परिस्थिति की टूट जाती है, तो अभियोजन पक्ष का केस विफल हो जायेगा। यह भी तर्क दिया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में उन सभी परिस्थितियों का एक मात्र नतीजा यह आना चाहिए कि इन्हीं अभियुक्तों द्वारा अपराध कारित किया गया है, जैसा कि प्रस्तुत मामले में नहीं पाया जाता है। यह भी तर्क देते हुए कहा गया

कि वादी मुकदमा पी0डब्लू0–01, पी0डब्लू0 02 व पी0डब्लू0 03 के बयानों में भी काफी विरोधाभास है और मामले की पुष्टि नहीं होती है। वादिनी पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि अभियुक्त से उनका कोई पूर्व विवाद या रंजिश नहीं थी, जिससे हत्या का कोई ठोस हेतुक सिद्ध नहीं होता। बचाव पक्ष का तर्क है कि वादिया ने अपने बयानों में अंतर्विरोध प्रकट किया है, जैसे पहले सूचना हीरालाल द्वारा मिलना बताया और बाद में उदयवीर द्वारा और पी0डब्लू0 01 का यह दावा कि मृतक की गला दबाकर हत्या की गई थी, चिकित्सा रिपोर्ट पी0डब्लू0 04 से पूरी तरह खंडित होता है, जिसमें मृत्यु का कारण केवल गोली लगना बताया गया है। इसके अतिरिक्त, जिस शाल को वादिया ने बरामदगी का मुख्य आधार बताया, उसे पुलिस ने कभी साक्ष्य के रूप में कब्जे में नहीं लिया। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि कथित तमंचा बरामदगी के समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं था, बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी घटना के काफी समय बाद बनाया गया। दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित दो अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पायी गयी है। इसके अलावा जो अन्य औपचारिक साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, उनके बयानों से अभियोजन पक्ष का केस साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष अपने केस संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियॉ आपस में नहीं मिलती है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

27. उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क देते हुए कहा गया कि मृतक महेंद्र अंतिम बार जीवित अवस्था में अभियुक्त शिशुपाल के घर रजाई लेकर गया था और वहीं खाना खाने की बात कही थी, जो लास्ट सीन थ्योरी के सिद्धांत को पुष्ट करता है। साक्षी पी0डब्लू0 02 कु0 प्रीती मृतक की बहन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने भाई को अभियुक्त के घर देखा था, जब अभियुक्त शराब पी रहा था और अगले दिन सुबह जब वादिया अभियुक्त के घर गई, तो अभियुक्त ने महेन्द्र के जल्दी चले जाने का झूठा बहाना बनाया, जबकि मृतक की रजाई वहीं मौजूद थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व चिकित्सक पी0डब्लू0 04 के अनुसार मृतक महेन्द्र सिंह की मृत्यु आग्नेयास्त्र के प्रहार से हुई है और अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व जीवित कारतूस बरामद किये गये हैं। अभियोजन का तर्क है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में तमंचे की नाल में फायरिंग के अवशेष पाए गए हैं और मृतक के कपड़ों पर मानव रक्त की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अभियुक्त ने साक्षी पी0डब्लू0 03 के सामने स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया था और विवेचना के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि अभियुक्त के एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसे मृतक ने देख लिया था, जो हत्या का एक प्रबल हेतुक बनता है। घटना के तुरंत बाद अभियुक्त का गाँव से फरार हो जाना उसकी अपराध में संलिप्तता को इंगित करता है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, यहॉ अभियोजन पक्ष की ओर से परिस्थिति की हर कड़ी संदेह से परे जोड़ी गयी है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा ही हत्या कारित की गयी। अभियोजन पक्ष अपने कथानक को साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त को **कठोर से कठोर** दण्ड देने की याचना की गयी।

28. उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधी चन्द सारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 1622 (तीन जजों द्वारा)** के केस में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित केस में अभियुक्त की दोषसिद्धि तभी की जा सकती हैः–

1. वह परिस्थितियॉ, जिनके आधार पर अभियुक्त का अपराधी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, वह सभी पूर्ण रूप से साबित होती हों।
2. उपरोक्तानुसार जो परिस्थितियॉ साबित होती हों, वह इस अवधारणा का समर्थन करती हों कि अभियुक्त ही दोषी है, अर्थात् जिनका कोई अन्य स्पष्टीकरण संभव नहीं है तथा उनके आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्त दोषी है।
3. परिस्थितियॉ, जो साबित की गयी हैं, वह सभी निश्चायक हों।
4. किसी अन्य परिस्थिति को निकाल दिया गया हो, जिसके आधार पर अभियुक्त निर्दोष साबित होता हो।
5. सभी परिस्थितियॉ मिलकर एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करती हों, जिसके आधार पर केवल एक यही निष्कर्ष निकलता हो कि केवल अभियुक्त द्वारा ही यह अपराध कारित किया गया है।

29. उपरोक्त के आधार पर ही इस मामले को देखा जाना है, अर्थात् परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में लास्ट सीन एविडेंस, उसकी साक्ष्य में ग्राह्यता, मृतक की मृत्यु की सम्बद्धता, उक्त लास्ट सीन से हुए सारे घटनाक्रम का एक चैन की तरह कड़ियों में पिरोया होना और कोई भी कड़ी एक–दूसरे को तोड़ती न हो तथा यह सभी परिस्थितियॉ और तथ्य केवल और केवल अभियुक्तगण की ओर इशारा कर रहे हों, न कि किसी और की ओर, इन्हीं आधारों पर प्रस्तुत मामले को देखा जाना है। यह भी देखा जाना है कि मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है और अभियुक्त की इस घटना में क्या भूमिका रही, उसे घटना कारित करने का क्या हेतुक था।

30. धारा 354 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत इस सत्र परीक्षण के निस्तारण के लिये निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु निर्मित किये जाते हैं:–

1. क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाईम है?
2. क्या अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल द्वारा वादिनी के पुत्र महेन्द्र सिह की आग्नेयास्त्र से प्रहार करके उसकी हत्या कारित की गयी और उसके शव को साक्ष्य के विलोपन के आशय से श्यौराज पुत्र चेतराम सिंह, निवासी गोपालपुर, थाना मारहरा, जिला एटा के आम के बाग में छिपा दिया, जिसे अभियोजन पक्ष अपने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित कराने में पूर्णतया सफल रहा है?
3. क्या अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल की निशानदेही पर दिनांक 27.01.2014 को थान सिंह के खेत की खड़ी झाडियों के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों में से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जीवित कारतूस 315 बोर समय 16:05 बजे बरामद किया गया, जिसकी कोई अनुज्ञप्ति अभियुक्त के पास नहीं थी, जिसका प्रयोग उसके द्वारा मृतक महेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कारित किये जाने में किया गया है?

31. जहॉ तक प्रस्तुत मामले में प्रथम बिन्दु का प्रश्न है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाईम है, धारा 154 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत एफ.आई.आर. का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय तंत्र को गतिशील करना और घटना के संबंध में प्रारंभिक सूचना को बिना किसी बनावट या सुधार के अभिलिखित करना होता

है। विलंब की समीक्षा करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या सूचना दर्ज कराने में हुआ समय अंतराल स्वाभाविक है या इसका उपयोग अभियुक्त को गलत तरीके से फंसाने के लिए किया गया है। अभियोजन के कथानक के अनुसार घटना दिनांक 21.12.2013 की शाम करीब 07:00 बजे की है, जब मृतक महेन्द्र सिंह अभियुक्त शिशुपाल के घर रजाई लेकर गया था। वादिनी गुड्डो देवी पी0डब्लू0 01 के अनुसार, जब उसका बेटा रात भर घर नहीं लौटा, तो वह अगले दिन सुबह शिशुपाल के घर गई और फिर सुबह करीब 08:00 बजे उसे सूचना मिली कि श्यौराज सिंह के बाग में उसके बेटे की लाश पड़ी है। इस सूचना के उपरांत, लिखित तहरीर **प्रदर्श क–01** के आधार पर थाना ढोलना में मु०अ०सं० निल/2013 के तहत प्राथमिकी दिनांक 22.12.2013 को सुबह 09:15 बजे दर्ज की गई। समय के इस अंतराल को देखने पर प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट समय से पंजीकृत करायी गयी है, किंतु बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी टाईम होने के संबंध में साक्षी पी0डब्लू0 01 की प्रतिपरीक्षा के उस कथन के संबंध में तर्क दिया गया है, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वह लाश के पास करीब दोपहर 03:00 बजे तक रही थी और उसने अपने ससुर नन्नू के खेत में लाश देखी थी, जबकि पी०डब्लू०–08 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक वीरपाल सिंह पंचायतनामाकर्ता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह सुबह 10:30 बजे घटनास्थल पर पहुँच गया था और उसने 11:30 बजे लाश भेज दी थी, जो वादिनी के उस बयान के विपरीत है, जिसमें उसने कहा है कि वह 03:00 बजे तक लाश के पास थी। पंचायतनामा की कार्यवाही दिनांक 22.12.2013 को समय 10:30 ए0एम0 से लेकर समय 11:30 ए0एम0 तक पी0डब्लू0 08 द्वारा की गयी है। पी०डब्लू०–09 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दफेदार सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि तहरीर वादिनी के हस्तलेख में नहीं थी और न ही उसमें लेखक का नाम दर्ज था। इस संबंध में पी0डब्लू0 01 वादिनी मुकदमा ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–04 पर कथन किया है कि तहरीर लेखक ने तहरीर में क्या लिखा, ये उसे पढ़कर सुनाया या नहीं, उसे याद नहीं है। पेज–04 पर प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0 01 ने यह भी कहा है कि वह तहरीर लेकर पहले मारहरा गयी थी, मारहरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ घटनास्थल पर ही कर ली थी, फिर गॉव में भी गयी थी, पूछताछ के लिये, जबकि मुकदमा थाना ढोलना, जिला कासगंज पर पंजीकृत किया गया है। इस कथन से तहरीर की विश्वसनीयता एवं मुकदमा पंजीकृत होने के संबंध में प्रश्नचिन्ह लगता है। इन विसंगतियों के प्रकाश में यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिकी वास्तविक समय पर दर्ज नहीं की गई थी, बल्कि घटनास्थल पर पुलिस के पहुँचने, पंचायतनामा की कार्यवाही होने और आपसी मशविरे के बाद उसे एक निश्चित समय 09:15 ए0एम0 दिखाकर एंटी–टाइम किया गया और उपरोक्त के संबंध में उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास भी है, जिससे अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है, किंतु फिर भी इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम मान सिंह आदि (2003) 10 एस0सी0सी0 414, 2012 सुप्रीम (एस0सी0) 446, आनन्द मोहन बनाम बिहार राज्य** एवं **2020 सुप्रीम (इलाहाबाद) 1213, कौशल कुमार उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य** में यह विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एफ0आई0आर0 केवल एंटी डेट व एंटी टाईम होने के आधार पर ही संपूर्ण अभियोजन कथानक को झूठा नहीं ठहराया जा सकता, परंतु ऐसी स्थिति में न्यायालय को सावधानीपूर्वक साक्ष्य का विश्लेषण करना चाहिये, जिनसे यह न्यायालय भी सहमत है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धांतों के अनुपालन में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन व विश्लेषण किया जायेगा।

32. जहॉ तक द्वितीय विचारणीय बिन्दु का प्रश्न है कि क्या अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल द्वारा वादिनी के पुत्र महेन्द्र सिह की आग्नेयास्त्र से प्रहार

करके उसकी हत्या कारित की गयी और उसके शव को साक्ष्य के विलोपन के आशय से श्यौराज पुत्र चेतराम सिंह, निवासी गोपालपुर, थाना मारहरा, जिला एटा के आम के बाग में छिपा दिया, जिसे अभियोजन पक्ष अपने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित कराने में पूर्णतया सफल रहा है, जिसे अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से संदेह से परे युक्तियुक्त ढंग से साबित करने में सफल रहा है? अपने उपरोक्त कथानक को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल 11 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिनमें से तथ्य के 03 साक्षीगण पी0डब्लू0 01 गुड्डो देवी वादिनी मुकदमा व मृतक की मॉ है, पी0डब्लू0 02 कु0 प्रीती मृतक की बहन है व पी0डब्लू0 03 दफे सिंह है नगला शीशम, थाना मारहरा, जिला एटा का निवासी है।

33. वादिनी मुकदमा पी0डब्लू0 01 गुड्डो देवी द्वारा घटना की तहरीर **प्रदर्श क–01** दिनांक 22.12.2013 को थाना ढोलना, जिला कासगंज पर दी गयी और कथन किया गया कि कल दिनांक 21.12.2013 को शाम समय करीब 07:00 बजे उसका पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र करीब 15 वर्ष शिशुपाल के घर रजाई लेकर गया था और शिशुपाल के घर ही में खाना खाया था। उसके बाद डॉ0 लाखन सिंह के घर टी0वी0 देखी थी तथा ज्वाला सिंह ने उसके बेटे से बैट्री मॉगी थी, जिसके ऊपर ज्वाला सिंह से कहा–सुनी भी हो गयी। उसके बाद उसका बेटा घर नहीं लौटा। सुबह करीब 08:00 बजे श्यौराज पुत्र चेतराम सिंह, निवासी गोपालपुर, थाना मारहरा, जिला एटा के आम के बाग के पास उसके बेटे की लाश मिली है, जिसकी पीठ में गोली मारकर उसकी हत्या की गयी है। उसे संदेह है कि उपरोक्त शिशुपाल आदि लोगों को ही उसके बेटे की हत्या की जानकारी होगी। वादिनी मुकदमा की तहरीर **प्रदर्श क–01** के आधार पर थाना ढोलना, जिला एटा पर मु0अ0सं0 निल/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–14** दिनांक 22.12.2013 को समय 09:15 ए0एम0 पर अभियुक्तगण शिशुपाल, डॉ0 लाखन सिंह व ज्वाला सिंह के विरूद्ध दर्ज की गयी। तदोपरांत घटनास्थल थाना मारहरा, जिला एटा का होने के कारण मामला मु0अ0सं0 निल/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना ढोलना, जिला एटा से मु0अ0सं0 09/2014, धारा 302,201 भा0दं0सं0, थाना मारहरा, जिला एटा के रूप में तरमीम किया गया, जिसका खुलासा जी0डी0 सं0 45, समय 20:30 बजे **दिनांकित 08.01.2014 प्रदर्श क–03** में किया गया। दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण डॉ0 लाखन सिंह व ज्वाली सिंह की नामजदगी झूठी पायी गयी और विवेचना के उपरांत मात्र अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल के विरूद्ध आरोप–पत्र उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्रेषित किया गया।

34. साक्षी पी0डब्लू0 01 वादिनी मुकदमा गुड्डो देवी ने अपनी तहरीर में कथन किया है कि उसका पुत्र महेन्द्र 21.12.2013 को शाम 07:00 बजे शिशुपाल के घर रजाई लेकर गया था और वहीं खाना खाया था और ज्वाली सिंह और महेन्द्र के बीच बैटरी को लेकर कहा–सुनी हुई थी। वादिनी ने तहरीर में स्पष्ट कहा कि उसे संदेह है कि शिशुपाल आदि लोगों को उसके बेटे की हत्या की जानकारी होगी। यहॉ ध्यान देने योग्य बात यह है कि तहरीर में 'शिशुपाल ने ही हत्या की है' ऐसा कोई प्रत्यक्ष दावा नहीं किया गया था, बल्कि केवल संदेह व्यक्त किया गया था, जबकि पी0डब्लू0 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि शिशुपाल राजस्थान से आया था और उसने महेन्द्र से दोस्ती कर ली थी। सुबह जब वह शिशुपाल के घर गई, तो उसने कहा कि महेन्द्र जल्दी उठकर चला गया है, जबकि महेन्द्र की रजाई वहीं मौजूद थी। अपनी मुख्य परीक्षा में वादिनी पी0डब्लू0 01 ने नया आरोप लगाते हुए दृढ़ता से कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि उसके लड़के की हत्या शिशुपाल ने गोली मारकर की है, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज–03 पर वादिनी पी0डब्लू0 01 ने कथन किया है कि उसके बेटे की गला दबाकर हत्या की गई थी और गले पर दबे हुए

निशान थे। यह बयान अभियोजन के उस मूल कथानक के पूर्णतः विपरीत है, जिसमें गोली मारकर हत्या करने की बात कही गई थी और पी0डब्लू0 04 शव–विच्छेदनकर्ता डॉ0 अंजुश सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से वादिनी के गला दबाने के कथन के पूर्णतः विपरीत कथन करते हुए कहा गया है कि मृतक की गले की हड्डी टूटी हुई नही थी। मृतक की गला दबाकर हत्या नही की गयी थी। यदि गला दबाकर हत्या की गयी होती, तो इसमें श्वास अवरोधक आता। शव मिलने के संबंध में वादिनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि सुबह लगभग समय करीब 08:00 बजे गॉव के हीरालाल खेतों पर घूमने गये, तो उसने उसके लड़के महेन्द्र की लाश श्यौराज के बाग में समाधि के पास पड़ी देखी। सूचना पर वह भी अपने लडके महेन्द्र की लाश के पास गयी, जबकि अपनी तहरीर प्रदर्श क–01 में वादिनी ने शव मिलने के संबंध में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उपरोक्त कथनों के पूर्णतः विपरीत एवं विरोधाभासी कथन करते हुए वादिनी पी0डब्लू0 01 ने कहा है कि उसे सूचना उदयवीर ने दी थी। उसे समय पता नहीं है, वह सुबह भैंस धो रही थी, तब उसे सूचना उदयवीर ने दी थी। उसने दिनांक 02.12.2015 को न्यायालय में बयान दिया था कि उसे सूचना हीरालाल ने दी थी, वह बात गलत है। वास्तव में उसे सूचना उदयवीर ने दी थी। उसने यह बात एफ.आई.आर. में बताई थी, अगर नहीं लिखी गयी है, तो वह इसकी वजह नहीं बता सकती। इससे स्पष्ट है कि यह साक्षी मिथ्या व विरोधाभासी कथन अपनी साक्ष्य में कर रही है। पेज–03 पर पी0डब्लू0 01 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि उसके बेटे की लाश पर उसे कमीज का रंग ध्यान नहीं है। कपडों का रंग उसे याद नहीं है कि किस रंग के थे। उसका बेटा शॉल लाल रंग की पहने हुआ था। लाश पर शाल थी, वह उसे ले आई थी, बाकी कपड़े पुलिस द्वारा सील किये गये थे। इस प्रकार इस साक्षी को शॉल का रंग याद है, किंतु उसका पुत्र क्या कपडे पहने था, यह उसे याद नहीं है। पेज–04 पर साक्षी पी0डब्लू0 01 ने कथन किया है कि लाश के पास शिशुपाल मौजूद नहीं था। उसके रिस्तेदार व गॉव के लोग इकट्ठे हुए थे। उसने शिशुपाल को बुलाया था और शिशुपाल आया था और शिशुपाल से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। शिशुपाल से उसने पूछा था कि उसके बेटे को किसने गोली मारी, परन्तु वह मना कर देता है। उसने शिशुपाल के कपड़े खून में सने पाये थे, जबकि खून से सने कपड़े पाये जाने के संबंध में साक्षी ने न तो अपनी मुख्य परीक्षा में कोई कथन किया है और न ही अपनी तहरीर मे और न ही विवेचक द्वारा ऐसे कोई कपड़े अभियुक्त के बरामद किये गये हैं। साक्षी पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में तहरीर के संबंध में कथन किया है कि तहरीर लेखक ने तहरीर में क्या लिखा, ये उसे पढकर सुनाया या नहीं, उसे याद नहीं है, जबकि तहरीर पर मात्र वादिनी के हस्ताक्षर हैं और तहरीर लेखक के कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। तहरीर में वादिनी पी0डब्लू0 01 ने ज्वाला सिंह और महेन्द्र के बीच बैटरी को लेकर विवाद बताया था, जबकि अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–04 पर साक्षी पी0डब्लू0 01 ने यह कथन किया है कि उसने एफ.आई.आर. डॉ0 ज्वाला सिंह व लाखन सिंह के खिलाफ नहीं लिखाई थी। उसने केवल शिशुपाल के खिलाफ एफ.आई.आर. लिखाई थी। एफ.आई.आर. में उसने तीनों लोगों का नाम लिया है और तीनों ने ही उसके बेटे की हत्या की है। पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने अपने बेटे की हत्या करते हुए किसी को नहीं देखा है। उसे शक है कि हत्या शिशुपाल ने की है। वादिनी ने तहरीर में हेतुक के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि शिशुपाल से उसका कोई जमीन का विवाद, रंजिश या किसी प्रकार का झगड़ा नहीं था। वादिनी पी0डब्लू0 01 की साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है और न ही वह घटना की चक्षुदर्शी व विश्वसनीय साक्षी है। यह साक्षी स्पष्ट रूप से मिथ्या व भ्रमित करने वाली साक्ष्य दे रही है। साक्षी पी0डब्लू0 01 की साक्ष्य

से हत्या और साक्ष्य विलोपन का आरोप युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

35. पी0डब्लू0 02 के रूप में अभियोजन की ओर से मृतक की बहन कु0 प्रीति को परीक्षित कराया गया है। जिस दिनांक को साक्षी पी0डब्लू0 02 की मुख्य परीक्षा अंकित की गयी, उसी दिनांक को बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से जिरह करने में असमर्थता दर्शायी गयी, तब न्यायालय द्वारा इस साक्षी से बचाव पक्ष का जिरह का अवसर कर दिया गया और उसके उपरांत इस साक्षी की दौरान विचारण मृत्यु हो गयी तथा इस साक्षी से कोई जिरह नहीं की गयी। इस साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं वादिनी पी0डब्लू0 01 की तहरीर के अनुसार यह साक्षी भी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि यह साक्षी अंतिम बार देखे जाने की साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि उसके भाई महेन्द्र को अभियुक्त शिशुपाल, जो उसके गॉव का है, आज से चार साल पूर्व समय के 07:00 बजे बुलाकर ले गया। उसका भाई महेन्द्र अपने साथ रजाई ले गया था। वह भी शिशुपाल के घर आंधे घंटे बाद गयी थी। उसका भाई महेन्द्र बैठा था। एक आदमी और था, जो लेटा था। लेटे हुए व्यक्ति को वह शक्ल से नहीं जानती है। सामने आने पर पहचान सकती है। शिशुपाल के घर अंडे बन रहे थे। शिशुपाल शराब पी रहा था। उसने अपने भाई से कहा कि घर चलो, तो उसने कहा कि वह आज यही खाना खायेगा। साक्षी के इन कथनों से यही स्पष्ट है कि मृतक एवं अभियुक्त शिशुपाल के संबंध खराब नहीं थे, बल्कि मधुर थे और अभियुक्त शिशुपाल के पास मृतक की हत्या करने का कोई भी कारण नहीं था, जबकि पी0डब्लू0 01 के अनुसार भी मृतक की अभियुक्त से कोई कहा–सुनी भी नहीं हुई थी, बल्कि ज्वाला सिंह व महेन्द्र सिंह में बैटरी के पीछे कहा सुनी हुई थी।

36. अभियोजन की ओर से तथ्य के एक अंतिम साक्षी पी0डब्लू0 03 दफेह सिंह को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी0डब्लू0 03 दफे सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि लगभग पाँच वर्ष पूर्व वह मिरहची बाजार में था, जहाँ अभियुक्त शिशुपाल उसके पास आया और हाथ–पैर जोड़कर कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसने 21.12.2013 की रात महेन्द्र की हत्या कर दी है तथा वह उसे किसी तरह बचा ले। साक्षी पी0डब्लू0 03 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज–03 पर कथन किया है कि मृतक महेन्द्र सिंह उसके साले का लड़का है। अपनी मुख्य परीक्षा में साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है और वह अपने व वादी पक्ष के रिश्ते को छिपाते हुए आया है, इस प्रकार यह हितबद्ध साक्षी है। यद्यपि हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि वह विश्वसनीय हो। साक्षी पी0डब्लू0 03 की साक्ष्य से किसी भी प्रकार से परिस्थितिजन्य मामले की कड़ियॉ की श्रृंखला निर्मित नहीं होती है, क्योंकि इस साक्षी की मुख्य परीक्षा में ऐसा कोई भी कथन नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि होती है। मात्र इस साक्षी की मुख्य परीक्षा में यह कथन आया है कि अभियुक्त ने उसके सामने मृतक की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया था। यह साक्षी स्पष्ट रूप से मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, क्योंकि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पेज–02 पर कथन किया है कि वह दिनांक 21.12.2013 को रहीम नगर में था, फिर कहा कि वह अपने गॉव में था। उसने मृतक की लाश नहीं देखी थी। उसने दरोगाजी को बयान किस दिनांक को दिया था, तारीख ध्यान नहीं है। उसका बयान दरोगाजी ने कत्ल के एक माह बाद लिया था। गॉव रहीमनगर में लिया था। वह थाने घटना के बाद से नहीं गया। वह कत्ल के एक डेढ माह बाद थाने गया था। दरोगाजी ने थाने में उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में गंभीर विरोधाभास है और यह साक्षी स्पष्ट रूप से बनावटी व अविश्वसनीय साक्ष्य दे रहा है। यदि अभियुक्त ने वास्तव में उसके सामने हत्या की बात स्वीकार की थी, तो एक रिश्तेदार होने के नाते उसका तुरंत पुलिस व मृतक की मॉ को न बताना

अस्वाभाविक आचरण है। इस साक्षी ने आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में पेज–03, 04 व 05 पर विरोधाभासी कथन करते हुए कहा है कि महेन्द्र की मृत्यु से पहले उसके गॉव में कब गया था, नहीं मालूम। शिशुपाल उसे मिरहची में मिला था। तारीख उसे याद नहीं है। वह पढ़ा लिखा नहीं है। उसने दरोगाजी को तारीख बताई थी। वह उसे ध्यान नहीं है। शिशुपाल उसे मिरहची में सड़क साइड में मिला था। वो रोड कासगंज से एटा रोड पर मिलता था। वहॉ पर कोई दुकान नहीं थी। इधर एटा से जाने पर सीधे हाथ की तरफ मिला था। शिशुपाल उसे मिरहची से बाहर मिला था। वहॉ पर एक पेड़ था। वह पुलिस का दलाल नहीं है। वह लकड़ी का काम करता था, इसलिये पुलिस वालो से उसकी रैट पैट थी। शिशुपाल के मिलने के बाद उसने घटना के डेढ़ महीने बाद दरोगाजी को बताई थी। जिस दिन उसे शिशुपाल मिला था, उस दिन वह थाने नहीं आया था। उस दिन उसने दरोगाजी को थाने में नहीं देखा था। उसने मारहरा थाने के दरोगाजी को बयान रहीम नगर गॉव में दिया था। उसका बयान लेने के समय वह, रामचन्द्र व दरोगाजी मौजूद थे, अन्य कोई नहीं था। रामचन्द्र का बयान भी उसी दिन दरोगाजी ने लिया। उसका व दरोगाजी का मुकाबला रहीमनगर गॉव के बाहर हुआ था। उसने दरोगाजी को फोन नहीं किया था। वह उन दिनो रहीम नगर में बडे भाई हरीशचन्द्र के घर पर रूका था। दरोगाजी महेन्द्र के घर गये थे। वह पुलिस के आने की सूचना पर गया था। उसे कोई बुलाकर नहीं लाया था। उसका मुकाबला मृतक महेन्द्र के दरवाजे के सामने दरोगाजी से हुआ था। दरोगाजी को वे बाहर लेकर गये थे। मृतक की मॉ को शिशुपाल की बात नहीं बताई थी। शिशुपाल पर घटना के समय दो बीघा जमीन थी। उसे नहीं मालूम कि यह जमीन कितने रूपयों की होगी। शिशुपाल कितने भाई है, उसे नहीं मालूम। वह उसके माता पिता को भी नहीं जानता है। उसे शिशुपाल ने हत्या करने की वजह नहीं बताई थी। इतना बताया था कि उसने महेन्द्र की हत्या कर दी है। इस प्रकार यह साक्षी पूर्णतः हितबद्ध व अविश्वसनीय साक्षी है और इस साक्षी द्वारा बनावटी साक्ष्य दिया गया है तथा इस साक्षी की साक्ष्य में वृहद विरोधाभास हैं और इस साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

37. इस प्रकार इस मामले में तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिनकी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में बृहद विरोधाभास है। साक्षीगण के उपरोक्त मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के कथनों से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा ही मृतक महेन्द्र सिंह की आग्नेयास्त्र से प्रहार करके हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त को मृतक को मारते हुए किसी भी साक्षी ने देखने की साक्ष्य भी नहीं दी है। पी0डब्लू0 07 विवेचक सेवानिवृत्त निरीक्षक हरी सिंह, जिसके द्वारा आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि किसी भी गवाह ने शिशुपाल को गोली मारते हुए देखा हो, ऐसा किसी भी गवाह ने उसे बयान नहीं दिया। विवेचक पी0डब्लू0 07 हरी सिंह व पंचायतनामाकर्ता पी0डब्लू0 08 वीरपाल द्वारा जो घटनास्थल की नक्शा–नजरी क्रमशः प्रदर्श क–05 व प्रदर्श क–13 बनायी गयी हैं, उनमें क्रमशः ए स्थान तथा एक्स स्थान पर मृतक का शव पड़ा होना दर्शाया गया है, जो पूरब व पश्चिम को चलने वाली कच्ची सड़क है और उसके उत्तर में श्यौराज सिंह का आम का बाग दर्शाया गया है, जबकि वादिनी व साक्षीगण द्वारा मृतक का शव श्यौराज सिंह के आम के बाग में पड़ा होना बताया गया है। इस संबंध में भी साक्षीगण के कथनों में भिन्नता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षीगण की साक्ष्य से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले की संपूर्ण श्रृंखला निर्मित नहीं होती है।

38. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में घटना के हेतुक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी आपराधिक घटना का हेतुक क्या है, इसका कोई साक्ष्य सम्पूर्ण सटीकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा

सकता, किन्तु अभियोजन को यह स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या किये जाने का कुछ प्रयोजन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वकार आदि बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 518** के केस में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित केस में अभियोजन द्वारा घटना का हेतुक साबित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **संपत्त कुमार बनाम इंस्पैक्टर ऑफ पुलिस, किश नगरी 2012(1) जे0सी0आर0सी0 631** के केस में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित केस में अभियोजन द्वारा घटना का हेतुक साबित कर भी दिया जाता है, तो भी हेतुक साबित करने के एकमात्र आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अन्य साक्ष्य उपलब्ध न हो। माननीय न्यायालय के अभिमत में केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

39. अब यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त को घटना कारित करने का कोई हेतुक प्राप्त था, इस संबंध में तहरीर प्रदर्श क–01 में घटना के हेतुक की बावत कोई कथन नहीं है। अभियोजन की मुख्य साक्षी और मृतक की माता गुड्डो देवी पी0डब्लू0 01 ने अपनी तहरीर और मुख्य परीक्षा में केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त शिशुपाल को नामजद किये जाने के संबंध में साक्ष्य दिया है, किंतु अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अभियुक्त का उनके परिवार के साथ कोई जमीन का विवाद नहीं था और न ही किसी प्रकार की कोई रंजिश या पुरानी दुश्मनी थी। विवेचक निरीक्षक हरी सिंह पी0डब्लू0 07 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में एक नया और कहानी से भिन्न हेतुक पेश करने का प्रयास किया, जिसमें उसने बताया कि अभियुक्त के रूपा नाम की महिला के साथ अवैध संबंध थे और मृतक ने उन्हें देख लिया था, जिस बदनामी के डर से हत्या कारित की गई। हालांकि, स्वयं विवेचक ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने रूपा के बयानों में इन अवैध संबंधों का कोई उल्लेख नहीं किया है और न ही किसी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि हुई है। तहरीर में ज्वाला सिंह के साथ बैटरी को लेकर हुए विवाद का जो प्रारंभिक हेतुक दर्शाया गया था, उसे भी विवेचना के दौरान गौण कर दिया गया और बाद में ज्वाला सिंह को क्लीनचिट दे दी गई। इसके अतिरिक्त, कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के साक्षी दफे सिंह पी0डब्लू0 03 ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि अभियुक्त ने उसे हत्या करने की कोई वजह (हेतुक) नहीं बताई थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है कि अभियुक्त के पास एक 15 वर्षीय बालक की हत्या करने का कोई वास्तविक और ठोस कारण था। बिना किसी प्रमाणित हेतुक के, केवल इस आधार पर कि मृतक अंतिम बार अभियुक्त के घर गया था, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी पूरी नहीं होती है, जिससे अभियोजन का पूरा कथानक विधिक रूप से संदेहास्पद और निराधार हो जाता है। यदि यह मान भी लिया जाये कि इस मामले में अभियुक्त को घटना कारित करने का कोई हेतुक प्राप्त था, किंतु यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और जहां अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला स्थापित नहीं कर पाता और केवल हेतुक ही साबित कर पाता है, वहां अभियुक्त सन्देह का लाभ पाने का अधिकारी है, जैसा कि **रामप्रताप उर्फ टिल्लू बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2022 (8) ए0डी0जे0 557** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मत व्यक्त किया गया है, परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला स्थापित करने में असफल रहा है। अतः इसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, यदि उससे दो मत निष्कर्षित होते हैं, तो वह मत जो अभियुक्त के पक्ष में है, स्वीकार किया जाना चाहिये जैसा कि **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम अशोक कुमार 1992 कि0ला0ज0 1104** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त

किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का विश्लेषण अत्यन्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उससे अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है, के बावत कोई सम्यक् साक्ष्य नहीं पाया जा रहा है। जहां पर अभियोजन बरामदगी के तथ्य या अन्तिम दृश्य के तथ्य को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं कर पाता है, वहां पर अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी होगा, जैसा कि **सुभाषचन्द्र उर्फ कल्लू व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2022 (8) ए0डी0जे0 135** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है।

40. जहॉ तक अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल के विरूद्ध धारा 25/27 आयुध अधिनियम के आरोप का प्रश्न है एवं इस संबंध में जैसा कि बिन्दु सं0 03 निर्मित किया गया है कि क्या क्या अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल की निशानदेही पर दिनांक 27.01.2014 को थान सिंह के खेत की खड़ी झाडियों के नीचे पड़ी सूखी पत्तियों में से एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक जीवित कारतूस 315 बोर समय 16:05 बजे बरामद किया गया, जिसकी कोई अनुज्ञप्ति अभियुक्त के पास नहीं थी, जिसका प्रयोग उसके द्वारा मृतक महेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या कारित किये जाने में किया गया है? अभियुक्त शिशुपाल को दिनांक 27.01.2014 को दोपहर 14:45 बजे मुखबिर की सूचना पर गोपालपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की जामा–तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त ने कथित तौर पर अपना जुर्म स्वीकार किया और उसकी निशानदेही पर शाम 16:05 बजे थान सिंह के खेत में खड़ी झाड़ियों के नीचे सूखी पत्तियों से एक अदद तमंचा 315 बोर और एक जीवित कारतूस बरामद किया गया। इस कार्यवाही को तत्कालीन थाना प्रभारी मारहरा, हरी सिंह पी0डब्लू0 07 ने अपनी पुलिस टीम के साथ किया था। विवेचक हरी सिंह पी0डब्लू0 07 और कॉन्स्टेबल विनय कुमार पी0डब्लू0 06 दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने आने–जाने वाले लोगों को गवाही के लिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन भलाई–बुराई के डर से कोई भी तैयार नहीं हुआ। बिना किसी स्वतंत्र साक्षी के पुलिस द्वारा दिखाई गई यह बरामदगी विधिक रूप से संदेहास्पद मानी जाती है। बरामदगी के आधार पर थाना मारहरा में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 13/2014 के अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. **प्रदर्श क–04** शाम 18:15 बजे दर्ज की गई। इस मामले की विवेचना प्रारंभ में सेवानिवृत्त निरीक्षक रवीन्द्र बहादुर सिंह पी0डब्लू0 10 द्वारा की गई, जिन्होंने दिनांक 24.02.2014 को बरामदगी स्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया और अग्रिम विवेचना निरीक्षक रूप किशोर निगम पी0डब्लू0 11 द्वारा की गई, जिन्होंने जिलाधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–17 प्राप्त करने के बाद आरोप–पत्र प्रदर्श क–18 न्यायालय में प्रेषित किया। इस प्रकार इस मामले की विवेचना वादी से कनिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी है, जो निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती, यह तथ्य पी0डब्लू0 11 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार भी किया गया है कि मुकदमा के वादी थाना प्रभारी हरी सिंह और एस0ओ0 हरी सिंह का पद उसके पद से बड़ा था, जो धारा 302 भा0दं0सं0 की विवेचना कर रहे थे, जबकि उचित यह होता कि इस आला–कत्ल बरामदगी के मामले की विवेचना भी उन्हीं के द्वारा की जाती। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट दिनांकित 03.07.2015 के अनुसार, बरामद देशी पिस्तौल की नाल में फायरिंग के अवशेष (कॉपर और नाइट्राइट) पाए गए थे। दौरान शव–विच्छेदन भी मृतक के शव से एक बुलेट बरामद की गयी, किंतु पुलिस द्वारा उस बुलेट को परीक्षण हेतु विधि–विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। यदि उस बुलेट को विधि–विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाता, तो यह स्पष्ट हो जाता कि प्रश्नगत् बुलेट जो मृतक के शव से बरामद हुई, वह अभियुक्त के कब्जे से बरामद तमंचे से ही चलाई गयी थी। बैलिस्टिक मिलान के अभाव में यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सकता

कि इसी विशेष हथियार का प्रयोग महेन्द्र सिंह की हत्या में किया गया था। आला–कत्ल बरामदगी के मामले से संबंधित कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी भी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। इस प्रकार बरामदगी के मुकदमे की विवेचना भी निष्पक्ष विवेचना नहीं मानी जा सकती है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा बनायी गयी आला कत्ल की बरामदगी की कहानी भी संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर आला–कत्ल बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष का केस युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित नहीं पाया जाता है।

41. यद्यपि पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–02** के अनुसार मृतक महेन्द्र की मृत्यु शव परीक्षण से 3/4 दिन पूर्व चोट सं0 01 से हुए शॉक एवं हैमरेज के कारण हुई थी, परंतु अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि मृतक की हत्या अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी है।

42. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में अभियोजन के गवाहों के बयान और अभियोजन के कथानक के तथ्य एवं परिस्थितियॉ एक–दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई होनी चाहिये। प्रस्तुत मामले में घटना के तीन साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, जिनकी साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास हैं और उनकी साक्ष्य से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। प्रस्तुत मामले में यह परिस्थितियॉ एक–दूसरे से जुड़ी हुई दर्शित नहीं हो रही हैं, क्योंकि साक्षीगण अभियुक्त को प्रत्यक्षतः मृतक की मृत्यु से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात् यह सारी परिस्थितियॉ केवल और केवल अभियुक्त की ओर ही मृतक को मारने के तथ्य को साबित नहीं कर पा रही हैं और ये कड़ियॉ आपस में टूट रही हैं। इसलिये केवल पुलिस प्रपत्रों के आधार पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियुक्त के विरूद्ध कमजोर साक्ष्य और कमजोर कड़ियों के आधार पर दोषसिद्ध करना न्याय संगत नहीं होगा। इस प्रकार प्रत्येक दशा में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्त सन्देह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

(A) अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शीशपाल को धारा 302,201 भा0दं0सं0 के आरोपों से सन्देह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किया जाता है।

(B) अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशुपाल को धारा 25/27 आयुध अधिनियम के आरोपों से सन्देह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किया जाता है।

(C) दोनों ही मामलों में अभियुक्त जमानत पर हैं, उसके जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(D) अभियुक्त शिशुपाल उर्फ शिशपाल को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो प्रतिभू निर्णय पारित करने के दस दिवस के अन्दर अपील अवधि तक के लिये प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जो केवल छः माह तक प्रभावी होगें तत्पश्चात प्रतिभूगण स्वयं उन्मोचित माने जायेंगे।

(E) प्रकरण से सम्बन्धित माल मुकदमा, अपील अवधि के उपरांत नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

(F) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 155/2014 उ0प्र0 राज्य बनाम शिशुपाल उर्फ शिशपाल की पत्रावली पर भी रखी जाये।

दिनाँकः 07.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 07.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.07 14:14:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court